R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड X ◆ अंक 11
मई 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

ग्राहक सेवा

नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने तथा नाबालिगों के खाते खोलने और परिचालन में बैंकों के बीच समानता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 6 मई 2014 को बैंकों को सूचित किया है कि:

- किसी भी आयु का कोई नाबालिग अपने नैसर्गिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक के माध्यम से कोई बचत/सावधि/आवर्ती बैंक खाता खोल सकता है।
- 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नाबालिग, यदि चाहें तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालन करने की अनुमति दी सकती है। तथापि, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए नाबालिग की आयु के अनुसार उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से परिचालन की राशि की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। वे अपने विवेक के अनुसार यह भी तय कर सकते हैं कि नाबालिगों द्वारा खाते खोलने के लिए न्यूनतम कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं।
- बालिग होने पर पूर्व नाबालिग को उसके खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी होगी और यदि खाते का परिचालन नैसर्गिक अभिभावक/कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता हो तो नए सिरे से पूर्व नाबालिग के परिचालन संबंधी अनुदेश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएं तथा सभी परिचालनगत प्रयोजनों के लिए रिकार्ड में रखा जाए।

बैंक अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि नाबालिग खातों में जमाराशि से अधिक के आहरण की अनुमति न दी जाए तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहे।

इससे पहले अभिभावक के रूप में माता के साथ नाबालिग खाते (सावधि, आवर्ती और बचत जमा खाते) खोलने की अनुमति दी गई थी बशर्ते ऐसे खातों के परिचालन में सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अभिभावक के साथ खोले गए नाबालिग खातों में जमा से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं हो तथा ये खाते हमेशा जमा शेष दर्शाते हों।

नाबालिगों के नाम में बैंक खाते खोलने पर सभी शहरी सहकारी बैंकों को 12 मई 2014 को इसी प्रकार का एक अनुदेश जारी किया गया था।

एटीएमों को अशक्त व्यक्ति के लिए अधिक सुविधाानक बनाना

रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2014 को बैंकों को सूचित किया कि वे सभी मौजूदा एटीएमों/भविष्य के एटीएमों में रैंप उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि व्हील चेयर उपयोगकर्ता/अशक्त व्यक्ति आसानी से इनमें पहुंच बना सकें। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि एटीएमों की ऊंचाई व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रकार की बाधा पैदा न करे। तथापि उन मामलों में जहां ऐसी रैंप सुविधा उपलब्ध कराना अव्यवहार्य है, चाहे स्थायी रूप से जमीन पर लगाया गया है या अन्यथा रूप से लगाया गया है, इस आवश्यकता को संबंधित शाखाओं या एटीएमों में रिकार्ड किए गए और प्रदर्शित कारणों से बंद किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उचित कदम उठाने के लिए सूचित किया है जिसमें जहां भी व्यवहार्य हो वहां बैंक शाखाओं के प्रवेश द्वार पर रैंप उपलब्ध कराना शामिल है जिससे कि अशक्त व्यक्ति/व्हील चेयर उपयोगकर्ता बिना कठिनाई के बैंक शाखाओं में जाकर कारोबार कर सकें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में की गई प्रगति की रिपोर्ट आवधिक रूप से अपने-अपने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को करें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

1 जुलाई से सभी नए एटीएमों को बातचीत करने योग्य बनाया जाना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे 1 जुलाई 2014 से स्थापित किए जाने वाले सभी नए एटीएमों को ब्रेल कीपैड के साथ बातचीत करने योग्य बनाएं। बैंक सभी मौजूदा एटीएमों को ब्रेल कीपैड से बातचीत करने योग्य बनाने के रूप में परिवर्तित करने की रूपरेखा निर्धारित करें। इसकी स्थिति की समीक्षा समय-समय पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति द्वारा की जानी चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
ग्राहक सेवा	
नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना	1
एटीएमों को अशक्त व्यक्ति के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना	1
अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड नहीं लगेगा	2
अपरिचालित खातों में न्यूनतम शेष नहीं बनाए रखने पर दंडात्मक प्रभार नहीं लगाना	2
नीति	
बैंकों की विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं संरचित वित्तीय उत्पाद का प्रस्ताव कर सकती हैं	2
व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का स्तर बढ़ाना	2
प्रीपेड भुगतान लिखतों का निर्गम और परिचालन	2
निधि/गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं	2
आरआईडीएफ एवं कतिपय अन्य निधियों की गणना	2
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	2
फेमा	
नामित बैंकों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा स्वर्ण का आयात	3
भारतीय पार्टी के रूप में सीमित देयता भागीदारी	3
विदेशी इक्विटी धारक से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण	3
सहकारी बैंक	
शहरी सहकारी बैंक पैन सेवा एजेंट के रूप में कार्य करेंगे	3
स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की जमानत पर अग्रिम	3
रिपोर्ट	
बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए समिति	4
वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर समिति	4
भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों को पीकेआई युक्त बनाने पर समिति	4

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे कमजोर दृष्टि वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास उपलब्ध कराएं जब भी उन्हें बैंकिंग लेनदेन आसानी से करने में इनकी जरूरत हो। मैग्नीफाइंग ग्लासों की उपलब्धता और अशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं के बारे में शाखाएं प्रमुख स्थान पर सूचना प्रदर्शित करें।

अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/ अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड नहीं लगेगा

रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2014 को बैंकों से कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व चुकौती अर्थदंड लगाना बंद कर दें। ऐसा 1 अप्रैल 2014 को घोषित प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 के अनुपालन में किया गया है जिसमें रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण के कतिपय उपायों को प्रस्तावित किया था।

अपरिचालित खातों में न्यूनतम शेष नहीं बनाए रखने पर दंडात्मक प्रभार नहीं लगाना

रिज़र्व बैंक ने 6 मई 2014 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) सहित किसी अपरिचालित खाते में न्यूनतम शेष नहीं बनाए रखने के लिए दंडात्मक प्रभार लगाने पर रोक लगा दी है। ये अनुदेश सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे।

नीति

बैंकों की विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं संरचित वित्तीय उत्पाद का प्रस्ताव कर सकती हैं

रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2014 को निर्णय लिया कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं जो संरचित वित्तीय और डेरिवेटिव उत्पादों का प्रस्ताव करती हैं जिनकी रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू बाजार में विशिष्ट रूप से अनुमति नहीं दी गई है, वे केवल न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, फ्रैंकफर्ट, दुबई आदि जैसे भारत के बाहर स्थापित वित्तीय केंद्रों में ऐसा कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी अधिकार क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों का लेनदेन करने वाली विदेशी शाखाओं/सहायक संस्थाओं के पास ऐसे उत्पादों को संभालने के लिए पर्याप्त जानकारी, समझ और जोखिम प्रबंध योग्यता हो। अन्य केंद्रों पर बैंक केवल उन्हीं उत्पादों का प्रस्ताव कर सकते हैं जिनकी भारत में विशिष्ट रूप से अनुमति है।

जिन उत्पादों का भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं समुद्रपारीय स्थलों पर प्रस्ताव करती हैं, वे मेजबान देश के विनियमों के अनुसार हों और इसके लिए बोर्ड तथा इन विदेशी अधिकार क्षेत्रों में उचित प्राधिकार से पूर्व अनुमोदन लिया हो। बैंकों को इन उत्पादों के मामले में मेजबान और घरेलू विनियमों में अधिक कठोर विनियमों को अपनाना चाहिए। विशेषकर, बैंक यह सुनिश्चित करें कि अनुकूलता और उपयुक्तता नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है जैसाकि रिज़र्व बैंक और मेजबान विनियामकों द्वारा अधिदेशित है।

रिज़र्व बैंक ने बार-बार यह भी कहा है कि विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं और सहायक संस्थाओं द्वारा वे कार्यकलाप करने जिनकी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अपनी-अपनी संविधि के अंतर्गत अनुमति नहीं है, बैंकों को ऐसे कार्यकलाप करने से पहले रिज़र्व बैंक/भारत सरकार, जैसी भी स्थिति हो, से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का स्तर बढ़ाना

व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा नकदी प्रबंध के महत्वपूर्ण मुद्दों का निपटान करके व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2014 को यह निर्णय लिया है कि :

- बैंकों के बोर्डों को हर छमाही में कम से कम एक बार बीसी के परिचालनों की समीक्षा करनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हो कि कारपोरेट बीसी एवं बीसी एजेंटों के पूर्व निधियन की आवश्यकता को क्रमिक रूप से समय के साथ-साथ कम किया जाए। आदर्श रूप में, सभी सामान्य मामलों में पूर्व निधियन क्रमिक रूप से इस प्रकार कम किया जाना चाहिए कि बीसी के परिचालन प्रारंभ होने के 2 वर्षों की समयावधि में, जमाराशियों के मामले में हर बीसी/सीएसपी के लिए निर्धारित सीमाओं के लगभग 15 प्रतिशत और बैंक गारंटियों, आदि के मामले 30 प्रतिशत पर पहुंच जाए।
- बोर्ड को बीसी पारिश्रमिक के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए और उसे बैंक के उच्चतम प्रबंधन द्वारा निगरानी की एक प्रणाली भी बनानी चाहिए। बीसी को जमाराशि रखी जाने और विभिन्न क्रेडिट, प्रेषण, ओवरड्राफ्ट तथा बैंक के अन्य उत्पाद के भुगतान कार्य करने की अनुमति देने संबंधी मुद्दे की भी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में बोर्ड द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए।
- चूंकि बीसी द्वारा प्रयोग की जानेवाली नकदी बैंक की ही नकदी होती है, अतः इस नकदी का बीमा करने का दायित्व बैंक का ही होना चाहिए।

प्रीपेड भुगतान लिखतों का निर्गम और परिचालन

रिज़र्व बैंक ने 13 मई 2014 को कुछ शर्तों के अधीन रुपया वर्गांकित सह-ब्रांड वाले प्रीपेड लिखतों को जारी करने के लिए बैंकों को सामान्य अनुमति प्रदान की। तथापि, ऐसी सह-ब्रांड प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने की इच्छुक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/अन्य व्यक्तियों को रिज़र्व बैंक से एकबारगी अनुमोदन लेना होगा।

प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने के लिए प्राधिकृत/अनुमोदित सभी व्यक्तियों को उस वित्तीय संस्था/सरकारी संगठन के नाम/प्रतीक चिह्न के साथ ऐसी सह-ब्रांड वाली लिखत जारी करने की अनुमति है जिसके ग्राहकों/लाभार्थियों के लिए ऐसी सह-ब्रांड वाली लिखत जारी की गई हैं। निर्गमकर्ता का नाम मुख्य रूप से भुगतान लिखत पर दिखाई देना चाहिए।

प्रीपेड भुगतान लिखतों पर संशोधित एवं समेकित दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/PPICCR130514_A.pdf) पर डाले गए हैं।

निधि/गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2014 को सूचित किया कि भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक संस्थाओं सहित बैंक सामान्य समुद्रपारीय कारोबार को छोड़कर किसी अन्य संस्थाओं से ऋण/अग्रिम लेने के प्रयोजन से भारतीय कंपनियों के सुंयक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं/संपूर्ण स्वाधिकृत स्टेप डाउन सहायक संस्थाओं की तरफ से स्टैंड-बाई साख पत्र/गारंटी/सुविधा-पत्र आदि जारी नहीं करेंगे। रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया कि भारतीय कंपनियों के समुद्रपारीय सुंयक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं/संपूर्ण स्वाधिकृत स्टेप डाउन सहायक संस्थाओं को उनके कारोबार के लिए भारत की शाखाओं या विदेशी शाखाओं/सहायक संस्थाओं के माध्यम से निधि/गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान करते समय बैंक ऐसी सुविधाओं के अंतिम उपयोग की प्रभावी निगरानी और ऐसी संस्थाओं की कारोबारी आवश्यकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित करें।

आरआईडीएफ एवं कतिपय अन्य निधियों की गणना

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी के कारण ग्रामीण बुनियादी विकास निधि (आरआईडीएफ) तथा नाबार्ड के पास सुस्थापित कतिपय अन्य निधियों के अंतर्गत रखी गई बकाया जमाराशियों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कृषि के भाग के रूप में शामिल किया जाए।

तदनुसार, नाबार्ड के पास आरआईडीएफ, गोदाम बुनियादी निधि, अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि और अल्पावधि आरआरबी निधि के अंतर्गत चालू वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान बकाया जमाराशियों को अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के अंतर्गत माना जाएगा और इन्हें समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि के प्रति हिसाब में लिया जाएगा। उक्त निधियों के अंतर्गत नाबार्ड के पास बकाया जमा राशियां पूर्ववर्ती 31 मार्च को समायोजित निवल बैंक ऋण का भाग होंगी। ये दिशानिर्देश 31 मार्च 2014 से लागू हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - भारतीय महिला बैंक लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2014 को सूचित किया है कि "भारतीय महिला बैंक लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में दिनांक 12 अप्रैल 2014 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 25 मार्च 2014 की अधिसूचना के द्वारा शामिल किया गया है ।

फेमा

नामित बैंकों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा स्वर्ण का आयात

रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2014 को नामित बैंकों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा स्वर्ण के आयात के लिए दिशानिर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया:

- विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा नामित एंजेसियों के रूप में पंजीकृत स्टार ट्रेडिंग गृह/प्रीमियर ट्रेडिंग गृह (एसटीएच/पीटीएच) अब कुछ शर्तों के अधीन 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण का आयात कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त नामित बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार अपनी बहियों में बकाया स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) की सीमा तक 80 प्रतिशत पात्र घरेलू आयात कोटे में से स्वर्ण धातु ऋण, घरेलू आभूषण विनिर्माताओं को दें।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वर्ण के आयात के लिए दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाने के लिए आभूषण निर्माताओं, बुलियन व्यापारियों, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों और व्यापार निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2013 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 25 को संशोधित किया है।

भारतीय पार्टी के रूप में सीमित देयता भागीदारी

रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2014 को सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत ''भारतीय पार्टी'' के रूप में पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एक एलएलपी मौजूदा फेमा प्रावधानों के संबंध में विदेश में संयुक्त उद्यम (जेवी)/संपूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) के प्रति / की तरफ से वित्तीय वचनबद्धता पूरी कर सकती है।

इससे पहले रिज़र्व बैंक ने 16 अप्रैल 2014 को निर्णय लिया कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) चयनित शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) स्वीकार करने के लिए पात्र होगी।

विदेशी इक्विटी धारक से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण

वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण के उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने 16 मई 2014 को निर्णय लिया है कि स्वचालित मार्ग के तहत निम्नलिखित मामलों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं:

- अप्रत्यक्ष इक्विटी धारकों और समूह कंपनियों से विनिर्माण, मूलभूत सुविधा, होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इक्विटी धारकों से विविध सेवाओं में लगी कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव। विविध सेवाओं से अभिप्राय उन कंपनियों से है जो प्रशिक्षण कार्यकलापों (किंतु शैक्षिक संस्थान नहीं), अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में लगी हैं तथा मूलभूत सुविधा क्षेत्र में सहायता करने वाली कंपनियां। तथापि, ट्रेडिंग कारोबार करने वाली कंपनियों, लोजिस्टिक सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को इस सुविधा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- सामान्य कंपनी प्रयोजन के लिए विनिर्माण, मूलभूत सुविधा, होटल और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव। तथापि, सामान्य कंपनी प्रयोजन (जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल है) की अनुमति केवल प्रत्यक्ष इक्विटी धारक से है।
- उधारकर्ता के परिवर्तन वाले प्रस्ताव जब बाह्य वाणिज्यिक उधार विदेशी इक्विटी धारक - प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इक्विटी धारकों और समूह कंपनियों से हो।

इससे पहले बाह्य वाणिज्यक उधार (ईसीबी) नीति के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारकों (एफईएच) से बाह्य वाणिज्यिक उधार को स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत माना जाता था। तथापि अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी धारकों और समूह कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा सामान्य कंपनी प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जाता था। इसके अतिरिक्त विदेशी इक्विटी धारक के मामले में ईसीबी उधारकर्ता के परिवर्तन के अनुरोध में रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।

सहकारी बैंकिंग

शहरी सहकारी बैंक पैन सेवा एजेंट के रूप में कार्य करेंगे

रिज़र्व बैंक ने 16 मई 2014 को वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंध वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को यह अनुमति दी है कि वे स्थायी खाता संख्या (पैन) सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करें। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (एनएसडीएल) ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी से ग्राहकों के लिए पैन निर्गम सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु टाइ-अप करना होगा।

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की जमानत पर अग्रिम

एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने 9 मई 2014 को शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर बैंक ऋण के (स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर बुलेट चुकौती ऋण समेत) मूल्य के प्रति ऋण अनुपात (एलटीवी) निर्धारित किया है जो 75% से अधिक नहीं होगा। अतः अब शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किया गया ऋण, स्वर्ण आभूषणों और जवाहरातों के मूल्य के 75% से अधिक नहीं होना चाहिए।

मूल्य निर्धारण को मानक बनाने तथा उधारकर्ता के लिए इसे और पारदर्शी बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि जमानत/संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत स्वर्ण आभूषण का मूल्य निर्धारण पूर्ववर्ती 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने के उस बंद भाव के औसत पर किया जाएगा जो इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लि. [जिसे पहले बाम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के रूप में जाना जाता था] द्वारा उद्धृत किया गया हो। यदि स्वर्ण की शुद्धता 22 कैरेट से कम हो तो शहरी सहकारी बैंकों को संपार्श्विक को 22 कैरेट में परिवर्तित कर संपार्श्विक के सटीक भार का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कम शुद्धता वाले स्वर्ण के आभूषणों का मूल्य निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक और सामान्य रक्षोपाय अपनाना जारी रखना चाहिए तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्वर्ण आभूषण की जमानत पर ऋण देने के लिए उचित नीति बनानी चाहिए।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या MR/Tech/WPP-20/South/2014 **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**
प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-में प्रेषित

रिपोर्ट

बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 मई 2014 को अपनी वेबसाइट (http://rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?RrlPage=&ID=784) पर भारत में बैंकों के बोर्डों की अभिशासन प्रणाली की समीक्षा करने वाली समिति (अध्यक्षः डॉ. पी.जे. नायक) की रिपोर्ट जारी की है। समिति की सिफारिशों पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को ईमेल से या डाक द्वारा 12 जून 2014 तक या इससे पहले भेजी जा सकती हैं।

पृष्ठभूमि

यह स्मरण होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30436) का गठन किया था। समिति से अनुरोध किया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के बोर्डों की कार्यपद्धति की जांच की जाए कि क्या कार्यनीति, वृद्धि, अभिशासन और जोखिम प्रबंध को पर्याप्त समय दिया जाता है, बैंक स्वामित्व, स्वामित्व सघनता और बोर्ड में प्रतिनिधित्व पर केंद्रीय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए, बैंकों के बोर्डों के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया जाए जिससे यह पता लग सके कि क्या संस्था को नियंत्रित करने और स्वामी प्रतिनिधियों और विनियामकों सहित बोर्ड के प्रतिनिधित्व में संभावित विरोधाभास की जांच करने के लिए बोर्डों के पास उचित मिश्रित योग्यताएं और आवश्यक स्वतंत्रता है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर श्री आनन्द सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कार्य दल ने वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी। डॉ. अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय सह-अध्यक्ष थे। इस कार्य दल का गठन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति द्वारा किया गया था । इस कार्य दल के गठन का उद्देश्य भारतीय वित्तीय संस्थाओं के ढांचे और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावी समाधान व्यवस्था के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान व्यवस्था के व्यापक सुदृढ़ीकरण का सुझाव देना था।

वर्तमान में अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों में कुछ प्रावधान हैं जो भारत में विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होने पर उनका समाधान करने के लिए संबंधित विनियामक/पर्यवेक्षक और/अथवा केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। अंतराल दूर करने और प्रमुख विशेषताओं के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था विकसित करने के लिए कार्य दल ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों और प्रमुख उन्नत अधिकार क्षेत्रों में कार्य और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सिफारिश की हैं।

इस कार्य दल ने स्वामित्व के भेदभाव के बिना सभी वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए आवश्यक शक्तियां और साधन उपलब्ध कराने वाले अलग व्यापक विधिक ढ़ांचे, विनियामकों/सरकार से सांस्थनिक रूप से स्वतंत्र एकल वित्तीय समाधान प्राधिकार (एफआरए) के गठन की आवश्यकता पर बल दिया है। कार्यदल ने यह सिफारिश भी की है कि प्रारंभिक स्तर पर विनियामक हस्तक्षेप और अंतिम स्तर पर उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए समाधान प्राधिकार को सौंपने हेतु स्पष्ट शुरूआती स्तरों के साथ शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के रूप में एक प्रारंभिक हस्तक्षेप व्यवस्था भी शुरू की जाए।

वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर कार्य दल की रिपोर्ट को 2 मई 2014 को आम जनता के अभिमत के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ)/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/बीमा विनियामक विकास प्राधिकार (आईआरडीए)/भविष्य निधि विनियामक और विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए)/वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) की वेबसाइट पर डाला गया है।

भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों को पीकेआई युक्त बनाने पर समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2014 को अपनी वेबसाइट पर भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों को सार्वजनिक मूलभूत सुविधा (पीकेआई) युक्त बनाने पर तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट जारी की है। इस समिति ने प्रारूप रिपोर्ट जनता की टिप्पणी के लिए फरवरी-मार्च 2014 में जारी की थी।

इस तथ्य से अवगत होते हुए कि गैर-पीकेआई युक्त भुगतान प्रणालियों जैसे समाशोधन (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नेशन (एमआईसीआर/गैर-एमआईसीआर), इलेक्ट्रॉनिक ऋण प्रणाली, क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों का वर्ष 2012-13 में मात्रा में 75 प्रतिशत किंतु मूल्य में 6.3 प्रतिशत योगदान रहा है, समूह ने सुझाव दिया है कि देश में सुरक्षित भुगतान प्रणाली और विधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई जैसी डिजीटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर समूह ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा क्लाउड होस्टेड डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डीएससी), विश्वसनीय कार्यान्वयन परिवेश, कड़े-'हल्के' हस्ताक्षर, मोबाइल पीकेआई, सुवाह्य सुरक्षा लेनदेन प्रोटोकॉल और हाइब्रिड पीकेआई समाधान पर किए गए व्यापक अध्ययन को भारतीय संदर्भ की दृष्टि से वैकल्पिक रणनीति के रूप में शामिल किया है।

अन्य बातों के बीच यह रिपोर्ट वर्तमान भुगतान प्रणाली की सुरक्षा विशेषताओं और सभी भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई कार्यान्वित करने की व्यवहार्यता का उल्लेख करती है। सभी बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग अनुप्रयोग अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन में पासवर्ड आधारित द्वि-कारक अधिप्रमाणन के लिए अधिप्रमाणन परिवेश के साथ-साथ अधिप्रमाणन और लेनदेन सत्यापन के लिए पीकेआई आधारित प्रणाली का निर्माण करें। ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन में बैंक अपने ग्राहकों को सभी ग्राहकों के लिए वैकल्पिक विशेषता के रूप में अपने ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन के लिए पीकेआई युक्त बनाने के लिए विकल्प प्रदान करें। समूह ने यह भी सिफारिश की है कि बैंक अधिप्रमाणन और लेनदेन सत्यापन के लिए पीकेआई कार्यान्वयन चरणों में शुरू कर सकते हैं।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।